न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 35 / 2021 दायरा दिनांक : 09.03.2021

उनवान

कृष्णगोपाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री मोतीलाल, जाति खटीक, निवासी छीपाबड़ोद, तहसील छीपाबड़ोद, जिला बारां, राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– राजू पुत्र श्री हेमराज, जाति काछी, निवासी उतावली ।

2– किशोर पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति काछी, निवासी काजल्या ।

3– गोमदा पुत्र श्री बक्शा, जाति काछी, निवासी काजल्या ।

4– देवकिशन पुत्र श्री रामसिंह, जाति काछी, निवासी छीपाबडौद।

5– नवलकिशोर पुत्र श्री नाम नामालूम, जाति काछी, निवासी छीपाबडौद

6– कान्तिबाई पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, जाति काछी निवासी छीपाबडौद

तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राजस्थान

... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रवन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय दिनांक : 03.08.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 132/2020 निर्णय दिनांक 15.12.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92(ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया । प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण दौराने तहकीकात वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2020 को अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी पी सी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी वादी ने मिथ्या व झूठे कथनों पर आधारित वादपत्र हम अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण विरूद्ध रंजीशवश एवं भूमि को जबरन हडपने की गरज से पेश किया तथा प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 का सही नाम राजेन्द्र कुमार है तथा वादपत्र में राजू दर्ज किया है तथा प्रतिवादी क्रम 2 का सही नाम नन्दकिशोर है किन्तु वादपत्र में किशोर दर्ज किया है एवं ग्राम काजल्या में किशोर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है गलत व्यक्ति के नाम से वाद पेश किया है, इस कारण वादपत्र नामंजूर किया जाकर खारिज किये जाने योग्य है । वादग्रस्त आराजी ग्राम काजल्या पटवार क्षेत्र पीथपुर, भू अभिलेख निरीक्षक गगचाना, तहसील छीपाबडौद की नकल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 171 खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा के सम्बन्ध में विवाद है । उक्त वाद पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उनवान के वादपत्र की विषय वस्तु विवाद्यक एवं भूमि खरारा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा ग्राम काजल्या, तहसील छीपाबडोद उनवान केस हेमराज वगैराह बनाम कृष्णगोपाल प्रकरण संख्या 04/2005 में पक्षकारान को सुना जाकर

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(रा. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 18.05.2009 को अन्तिम रूप से विनिश्चय कर निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित रजिस्ट्री दिनांक 19.03.1981 से आराजी का बेचान होना नहीं पाया गया है, तथा बेचानकर्ता का निशानी अंगूठा हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया तथा उक्त केस के निर्णय में वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित इंतकाल दिनांक 05.02.2004 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में वादपत्र चलने योग्य नहीं है । उक्त विषय वस्तु बाबत पूर्व में निर्णय हो चुका है। वर्तमान में उक्त वाद में जो वाद कारण बताया गया है वह गलत है, वर्तमान में कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है, वाद कारण आज से करीब 15 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था जिसका पूर्व में निर्णय हो चुका है। उक्त वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त वादपत्र की विवादग्रस्त आराजी है, उसमें विवादग्रस्त आराजी के सभी खातेदारान एवं भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जो आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें वादी द्वारा पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जिन्हें पक्षकार नहीं बनाने के कारण वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी के सभी खातेदारान एवं राजस्थान सरकार को सुना जाना आवश्यक हैं। अप्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में बताया कि सिविल प्रकिया संहिता से आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी की व्यवस्था विधि समेत तथ्यों व प्रावधानों के अनुसार की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील इंतकाल की अपील है, जिसका निस्तारण दिनांक 18.05.2009 को हो चुका है, लेकिन दिनांक 05.02.2004 को तहसीलदार छीपाबडोद द्वारा इंतकाल का अमलदरामद रोक दिया था, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2009 कोई महत्व नहीं रखता है। ग्राम कांजल्या की खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा तत्कालीन खातेदार बक्शा पुत्र गोरधन, प्रभू पुत्र भोरया व नटी बाई पत्नी भोरया एवं घासी पुत्र रामा के खाते दर्ज थी, जिसका सम्पूर्ण खाते का बेचान

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-II
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

सभी खातेदारों से प्रतिफल राशि रूबरू गवाहान से प्राप्त कर बेनामा तस्दीक करवा दिया था तथा 40 वर्षों से वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो आज भी बदस्तूर है। उक्त आराजी का बेनामा सबरजिस्ट्रार छीपाबडोद द्वारा तस्दीक किया गया था तथा बेनामा को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वादपत्र व वादी के अधिकारों के विपरीत प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर नकल जमाबंदी ग्राम काजल्या तहसील छीपाबडोद सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 171 के अनुसार हेमराज पुत्र श्री घीस्या 1/4, गुलाबचन्द पुत्र श्री श्रवण हिस्सा 1/8, नन्दकिशोर पुत्र श्री बाबू हिस्सा 1/8, श्यामलाल पुत्र श्री माधो, मनभर पुत्री माधो हिस्सा 1/28, हरिसिंह पुत्र श्री अमरचन्द, शांतिबाई पत्नी स्व0 अमरचन्द हिस्सा 1/16, गोमदा पुत्र श्री बक्शा हिस्सा 1/4, काली बाई पत्नी बद्रीलाल हिस्सा 5/56 जाति काछी के नाम दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 30.03.1981 के अनुसार बक्शा आत्मज गोरधन, प्रभू पुत्र श्री भेरया, नटी बेवा भेरया, घासी पुत्र रामा, जाति काछी, निवासी ग्राम काजल्या द्वारा खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि 6000/– रूपये में श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री गोतीलाल, जाति खटीक अपीलांट को बेचान किया जाना पाया जाता है, परन्तु उक्त विक्रय पत्र पर बक्शा पुत्र श्री प्रभू व भेरया के अंगूठा निशानी अंकित है। धीरया/घांसी के उक्त विक्रय पत्र पर अंगूठा निशानी अंकित नहीं है। नकल निर्णय दिनांक 18.05.2009 प्रकरण संख्या 04/2005 अपील हेमराज बनाम कृष्णगोपाल के अनुसार इंतकाल नं. 354 दिनांक 05.02.2004 ग्राम उतावली, काजल्या खारिज किया जाकर तहसीलदार छीपाबडौद को पुनः इंतकाल खोलने बाबत रिमाण्ड किया गया है, इससे यह साबित होता है कि उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित पूर्व में निर्णय हो चुका है, उसी भूमि से सम्बन्धित

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी/अपीलांट द्वारा पुनः खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। जिस भूमि का एक बार निर्णय किया जा चुका हो पुनः उसी भूमि का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया तथा वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त उनवान के वादपत्र की विषय वस्तु विवाद्यक एवं भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा ग्राम काजल्या, तहसील छीपाबडोद उनवान केस हेमराज वगैराह बनाम कृष्णगोपाल प्रकरण संख्या 04/2005 में पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 18.05.2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें रजिस्ट्री दिनांक 19.03.1981 से आराजी का बेचान होना नहीं पाया गया है, तथा बेचानकर्ता का निशानी अंगूठा, हस्ताक्षर नहीं है तथा इंतकाल दिनांक 05.02.2004 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया है। वादग्रस्त आराजी के राग्गी खातेदार एवं भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील इंतकाल की अपील है, जिसका निस्तारण दिनांक 18.05.2009 को हो चुका है,

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * कोटा *

लेकिन दिनांक 05.02.2004 को तहसीलदार छीपाबडोद द्वारा इंतकाल का अमल–दरामद रोक दिया था, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2009 कोई महत्व नहीं रखता है। ग्राम काजल्या की खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा तत्कालीन खातेदार बक्शा पुत्र गोरधन, प्रभू पुत्र भोरया व नटी बाई पत्नी भोरया एवं घासी पुत्र रामा के खाते दर्ज थी, जिसका सम्पूर्ण खाते का बेचान सभी खातेदारों से प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेनामा तस्दीक करवा दिया था तथा 40 वर्षों से वादी का ही वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो आज भी बदस्तूर है। उक्त आराजी का बेनामा सबरजिस्ट्रार छीपाबडोद द्वारा तस्दीक किया गया था तथा बेनामा को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। विक्रय पत्र के अनुसार बक्शा पुत्र गोरधन, प्रभू पुत्र भेरया, नटी बेवा भेरया, घांसी पुत्री रामा, जाति काछी, निवासी ग्राम काजल्या द्वारा खसरा नम्बर 13 की 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि 6000/– रूपये में श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री मोतीलाल, जाति खटीक अपीलांट को बेचान किया जाना पाया जाता है उक्त विक्रय पत्र पर बक्शा पुत्र श्री प्रभू व भेरया के अंगूठा निशानी अंकित है । घीस्या/घांसी के उक्त विक्रय पत्र पर अंगूठा निशानी अंकित नहीं है । जब एक बार विवादित आराजी से सम्बन्धित पूर्व में निर्णय हो चुका है तो उसी भूमि से सम्बन्धित वादी/अपीलांट द्वारा पुनः खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। जिस भूमि का एक बार निर्णय किया जा चुका हो पुनः उसी भूमि का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र में तहसीलदार छीपाबडौद को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर 40 वर्षों से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है जिससे कानूनन वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है तथा शेष आराजी पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अपीलांट उक्त आराजी पर ता फैसला वाद/अपील अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने के काननून अधिकारी है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा ग्राम काजल्या, तहसील छीपाबडोद उनवान केस हेमराज वगैराह बनाम कृष्णगोपाल प्रकरण संख्या 04/2005 में पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 18.05.2009 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसमें रजिस्ट्री दिनांक19.03.1981 से आराजी का बेचान होना नहीं पाया गया है, तथा बेचानकर्ता का निशानी अंगूठा, हस्ताक्षर नहीं है तथा इंतकाल दिनांक 05.02.2004 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया है। वादग्रस्त आराजी के सभी खातेदार एवं भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडोद आवश्यक पक्षकार हैं जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील इंतकाल की अपील है, जिसका निस्तारण दिनांक 18.05.2009 को हो चुका है, लेकिन दिनांक 05.02.2004को तहसीलदार छीपाबडोद द्वारा इंतकाल का अमल–दरामद रोक दिया था, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.05.2009 कोई महत्व नहीं रखता है। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र में तहसीलदार छीपाबडौद को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रणवीर बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य एवं प्रकरण में मुताबिक रिकार्ड व वाद पत्र में चाही गई इस्तदुआ अनुसार एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.11.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा